रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122024-259095
CG-DL-E-02122024-259095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4787] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946
No. 4787] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

का.आ. 5179(अ).—यतः, मै. अर्शिया लिमिटेड (पूर्व में मै. अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड) ने महाराष्ट्र राज्य में ग्राम बोरी, तालुका एवं जिला नागपुर में मुक्त ब्यापार एबं भण्डारण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2394(अ) दिनांक 30.09.2010 और का.आ. 260(अ) दिनांक 10.02.2012 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 43.258 हेक्टेयर एवं 3.616 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. अर्शिया लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 46.874 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र संख्या एसईजेड-2022/सीआर-93/आईएनडी-2 दिनांक 28 अगस्त, 2024 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, ऐसा विमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर स्थानों के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, सीप्स विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 46.874 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/36/2009-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2024

S.O. 5179(E).—Whereas, M/s. Arshiya Limited (formerly M/s. Arshiya International Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for FTWZ at Village Bori, Taluka and District Nagpur, in the State of Maharashtra;

AND, whereas, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 43.258 hectares and 3.616 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 2394 (E) dated 30.09.2010 and S.O. 260 (E) dated 10.02.2012 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Arshiya Limited has now proposed to de-notify the entire area of 46.874 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. SEZ-2022/CR-93/ Ind-2 dated 28th August, 2024. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ- Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 46.874 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/36/2009-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.02 22:58:15 +05'30'